(9)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

22/05

—: आदेश :—

16-04-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या—257/2007, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री नीरज कुमार**, पिता—श्री भरत सिंह, ग्राम—नदौना, थाना—भगवानगंज, जिला—पटना से प्राप्त एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—22/2005 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक—25.11.2008 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा वाद को तीन माह के अन्दर मुखर आदेश पारित करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई पुनः आरम्भ करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे कृषि कार्य करते हैं। सामाजिक कल्याणकारी कार्यों में भी रूचि है। अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक—553/गो0, दिनांक—05.08.2004 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित/अनुशंसित किया किया गया है। थानाध्यक्ष, भगवानगंज के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका—10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 की कंडिका—II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :—

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका—II की उप कंडिका—b तथा e निम्नवत है :—

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0—V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक—31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा

(10) 22/05

उन्हें एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री नीरज कुमार,** पिता–श्री भरत सिंह, ग्राम–नदौना, थाना–भगवानगंज, जिला–पटना के आवेदित एक दो नाली बन्दूक शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

16/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

70